न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भावना राघव गूर्जर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 70/2019 **दायरा दिनांक : 22.05.2019**

उनवान

त्रिलोक चन्द आयु 74 वर्ष पुत्र श्री दुलीचन्द जी, जाति ब्राहमण, निवासी अकलेरा हाल निवासी मकान नम्बर 3/159 गणेश तालाब, कोटा, जिला कोटा

.... अपीलांट

बनाम

1— श्रीमती संतोष बाई पत्नी कैलाश चन्द, जाति मीणा, निवासी अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

2— रामभरोसी बाई पुत्री श्री जयलाल पत्नी श्री पुरूषोत्तम दयाल, जाति ब्राहमण, निवासी अकलेरा, हाल रावतभाटा, जिला चित्तौड

3— केदार लाल पुत्र श्री जयलाल, जाति ब्राहमण, निवासी अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ मृतक

3/1— श्रीमती विष्णु कान्ता पत्नी स्वर्गीय केदार लाल, जाति ब्राहमण, निवासी अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

3/2— कुमारी नीरू पिता स्वर्गीय केदार लाल, जाति ब्राहमण, निवासी अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

3/3— तेज प्रकाश पिता स्वर्गीय केदार लाल, जाति ब्राहमण, निवासी अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

3/4— श्रीमती प्रेम शर्मा पुत्री स्वर्गीय श्री केदार लाल पत्नी श्री घनश्याम, जाति ब्राहमण, निवासी झालीपुरा, जिला कोटा

3/5— श्रीमती चेतना (विमला शर्मा) पुत्री स्वर्गीय श्री केदार लाल पत्नी श्री अजय कुमार शर्मा, जाति ब्राहमण, निवासी पंचमुखी बालाजी अकलेरा, जिला झालावाड़

3/6— श्रीमती मंजू शर्मा पुत्री स्वर्गीय श्री केदार लाल पत्नी श्री देवीशंकर शर्मा, जाति ब्राहमण, निवासी साई टाऊनशिप बाईपास रोड़, गुना मध्यप्रदेश

4— अशोक कुमार त्रिवेदी पुत्र श्री दुलीचन्द, जाति ब्राहमण, निवासी अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ मृतक जरिये कायम मुकामान :—

4/1— ललिता पत्नी स्वर्गीय अशोक कुमार, जाति ब्राहमण, निवासी अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

4/2— प्रमोद कुमार पुत्र स्वर्गीय अशोक कुमार, जाति ब्राहमण, निवासी अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

4/3— सुबोध पुत्र स्वर्गीय अशोक कुमार, जाति ब्राहमण, निवासी अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

4/4— आलोक पुत्र स्वर्गीय अशोक कुमार, जाति ब्राहमण, निवासी अकलेरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

5— गिरीश पुत्र श्री दुलीचन्द, जाति ब्राहमण, निवासी मंगलपुरा, टेंक, झालावाड़

6— ओम प्रकाश पुत्र श्री दुलीचन्द, जाति ब्राहमण, निवासी मंगलपुरा, टेंक, झालावाड़

7— प्रदीप कुमार पुत्र श्री दुलीचन्द, जाति ब्राहमण, निवासी मंगलपुरा, टेंक, झालावाड़

8— विपिन कुमार पुत्र श्री दुलीचन्द, जाति ब्राहमण, निवासी एच 566, जी सेक्टर अयोध्या नगर भोपाल मध्य प्रदेश

9— श्रीमती आशा शर्मा पुत्री दुलीचन्द पत्नी श्री विमल चन्द शर्मा, जाति ब्राहमण, निवासी प्लाट नम्बर 11, 12 सुमेर नगर थर्ड, न्यू सांगानेर, जयपुर

10— निर्मला पुत्री दुलीचन्द पत्नी श्री अशोक मुंशी, जाति ब्राहमण, निवासी रासमण्डल धार मध्य प्रदेश

11— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री राजेश गुप्ता अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री सी पी खण्डेलवाल अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 05.03.2020**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा के प्रकरण संख्या – 361/2009, 92/2013 एवं 182/2014 निर्णय व डिक्री दिनांक 05.03.2019 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा वाद संख्या 361/2009 में वादी केदार लाल व प्रतिवादनी रामभरोसी बाई द्वारा अपना हिस्सा 1/2 का बेचान वाद संख्या 92/2013 की वादनी संतोष बाई को किये जाने से केदार लाल का वाद व प्रतिवादी त्रिलोक चन्द द्वारा प्रस्तुत काउंटर क्लेम सिद्ध नहीं करने के कारण खारिज करने एवं अपीलांट के वाद संख्या 182/2014 को इस आधार पर खारिज करने की वादनी संतोष बाई वर्तमान रिकार्ड में शामलाती खातेदार दर्ज है एवं खातेदार को मात्र एक स्टाम्प इसकी प्रमाणिकता प्रतिवादी साबित नहीं कर पाया के आधार पर वादनी के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा दिया जाना उचित नहीं होना मानते हुए वादनी संतोष बाई का वाद संख्या 92/2013 प्राथमिक डिक्री किया जाकर ग्राम कोटडा दयाल तहसील अकलेरा के माल में स्थित शामलाती खाते की खतौनी संख्या 5 की आराजी खसरा नम्बर 118 रकबा 45 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 171 रकबा 7 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 172 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 173 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 174 रकबा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 175 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 176 रकबा 9 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 177 रकबा 12 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 178 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 179/217 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 180/218 रकबा 3 बीघा कुल 11 किता की 90 बीघा 1 बिस्वा आराजी में से वादनी संतोष बाई का 1/2 हिस्सा पृथक पृथक दर्ज करने हेतु तहसीलदार अकलेरा राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 के अनुसार आराजी का विभाजन पत्र तैयार कर पेश करने हेतु दिनांक 05.03.2019 को प्राथमिक डिक्री की गई है । यह निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री विधि एवं प्रावधानों के विरूद्ध एवं पत्रावली के संग्रहसार के विरूद्ध होने से निरस्त होने योग्य है जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई । अपील में अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने तीनों दावों की पत्रावलियो का अवलोकन किये बगैर पत्रावलियों पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य का सही मूल्यांकन किये बिना निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित करने एवं रेस्पोडेंट नम्बर 1 संतोष बाई का

वाद 92/2013 स्वीकार करने में त्रुटि की है । रेस्पोडेंट नम्बर 3/1 के पति एवं 3/2 लगायत 3/6 के पिता श्री केदार लाल ने सर्वप्रथम दिनांक 27.11.95 को वाद संख्या 1379/95 के रूप में प्रस्तुत किया जिसमें अपीलांट त्रिलोकचन्द ने दिनांक 16.07.96 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेष 1 नियम 10 (2) जाब्ता दीवानी के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को संतुष्ट कर अपना नाम प्रतिवादी नम्बर 4 के रूप में संयोजित करवा कर एवं दिनांक 03.06.2000 को अपीलांट ने प्रतिवादी नम्बर 4 के रूप में जवाब दावा एवं काउंटर क्लेम प्रस्तुत कर स्पष्ट कर दिया कि वादी केदार लाल व उसकी बहन प्रतिवादी नम्बर 2 रामभरोसी बाई के नाम रिकार्ड में 1/2 हिस्से में गलत दर्ज हो रहे हैं क्योंकि दावे में वर्णित आराजियात जिनके साबिक खसरा नम्बर 168/67 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 437/85 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 438/36 रकबा 12 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 407/89 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 439/86 रकबा 12 बीघा 7 बिस्वा खसरा नम्ब्र 404/89 रकबा 8 बीघा 4 बिस्वा कुल किता 7 90 बीघा 9 बिस्वा आराजी में से उनके पिता जयलाल ने उनके 1/2 हिस्से का बेचान दिनांक 07.05.64 को 99/– रूपये में कर कब्जा अपीलांट त्रिलोकचन्द को संभला दिया उक्त आराजी त्रिलोकचन्द के कब्जे काश्त एव उपयोग व उपभोग में चली आ रही है । उक्त आराजियात में 1/2 हिस्सा अपीलांट त्रिलोकचन्द सहखातेदार होने से अपनी सहखातेदारी दर्ज करवाने का पात्र है क्योंकि पिता दुलीचन्द पहले से ही 1/2 हिस्से के रिकार्डेड सहखातेदार हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने तनकीयात का विवेचन करने में त्रुटि की है । संतोष बाई ने उसका दावा 92/2013 में केवल दुलीचन्द के वारिसान के रूप में उनके वारिसान के रूप में उनके अंशधारी के रूप में प्रतिवादी नम्बर 2 बैयनामा दिनांक 07.05.64 के अनुसार हिस्से के लिए पृथक से पक्षकार नहीं बनाया है एवं रामभरोसी बाई और केदार लाल के वारिसान उसकी पत्नी श्रीमती विणुकान्ता एवं पुत्री कुमारी निरू को जानबूझकर पक्षकार नहीं बनाया है इसलिए भी संतोष बाई किसी तरह अनुतोष पाने की पात्र नहीं है और उसका दावा संख्या 92/2013 खारिज होने योग्य है । निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री सेल्फ स्पीकिंग नहीं है, ज्यूडिशियल नहीं है व आरब्रेटेरी होने की वजह से निरस्त होने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर मौजूद अभिवचनों के आधार पर पूरी व सही विवाद्यक विरचित नहीं किये हैं । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 05.03.2019 निरस्त किया जावे ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अभिभाषक अपीलांट ने अपने पक्ष के समर्थन में 1996 डी एन जे (एस सी) पेज 456, 1996 (1) डब्ल्यू एल सी (राज.) पेज 137, आर आर टी 2003 (2) पेज 729, एस सी सेक्शन टी पी एक्ट 2003 (1) आर आर टी पेज 463, 2004 (2) आर आर टी पेज 1052, 2004 (1) आर आर टी पेज 667 की नजीरे पेश की जो शामिल पत्रावली की गई एवं रेस्पोडेंट ने बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उचित बताया । अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपने पक्ष के समर्थन में 2010 (2) पेज 981 एस सी, 2009 (1) आर आर टी पेज 705, 2013 (2) आर आर टी पेज 1183, 2008 (2) आर आर टी पेज 960 एस सी, आर आर टी 2009 (1) पेज 25, 2016 (1) आर आर टी पेज 304, 2019 (1) आर आर टी पेज 332 एस सी, आर आर टी 2019 (1) पेज 291 एस सी की नजीरें पेश की जो शामिल पत्रावली की गई ।

अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उचित है, न अपील में न अधीनस्थ न्यायालय में अपील के तथ्य प्रमाणित पाये गये हैं । अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर हकाधिकार नहीं घोषित किये जा सकते हैं । अतः अपील खारिज किया जाना हम उचित समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 05.03.2019 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 05.03.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भावना राघव गूर्जर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा